(6)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी कर्मचारी (निवृत्ति के बाद नौकरी स्वीकृति) विनियम, 1975

(5)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी कर्मचारी (निवृत्ति के बाद नौकरी स्वीकृती) विनियम, 1975.

विनियम	विषय	पृष्ठ
1	संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.	
2	प्रयुक्ति.	
3	परिभाषा.	
4	भारत में व्यापारिक नौकरी.	
5	पु:नियुक्त कर्मचारी के मामले में दो वर्ष अवधि. की गिनती.	
6	निवृत्ति के पश्चात विदेश में सरकारी नौकरी.	
7	प्रथम श्रेणी पद पर स्थानापन्न (ऑफिशिएटिंग) कर्मचारी के लिए भी अनुमति की आवश्यकता.	
8	अर्थनिर्णय.	
9	रद्द करना और बनाए रखना.	

परिशिष्ठ

विनियम को केन्द्र सरकार की मंजूरी.....

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी कर्मचारी (निवृत्ति)
के बाद नौकरी स्वीकृती) विनियम, 1975.

प्रमुख बदरगाह अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा इस विषय से संबंधित वर्तमान अधिनियों का अधिक्रम करते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का विश्वस्त मंडल उपरोक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) की आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है. यह विनियम उपरोक्त धारा 124 की उपधारा (2) की आवश्यकतानुसार राजपत्र (गैजेट) के पिछले दो अंकों में प्रकाशित किए गए हैं :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** – (1) इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी कर्मचारी (निवृत्ति के पश्चात नौकरी स्वीकृति) विनियम, 1975 कहा जाएगा.

   (2) वे (विनियम) उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी से राजपत्र में (दिनांक 15 जनवरी 1976) प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

2. **प्रयुक्ति** – मंडल के अंतर्गत प्रथम श्रेणी धारण करने वाले सभी कर्मचारियों पर ये विनियम लागू होंगे. परंतु उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो अंशकालिक नौकरी पर है या केंद्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य जगह से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं.

3. **परिभाषा** – इन विनियमों के अंतर्गत जबतक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, तबतक –

   (ए) "मंडल" और "अध्यक्ष" के अर्थ (परिभाषा) वे ही होंगे जो उन्हें मुख्य बंदरगाह अधिनियम, 1963 में क्रमशः दिए गए हैं.

   (बी) "प्रथम श्रेणी पद" अर्थात वह पद जिसका वेतन या वेतन श्रेणी 1,100 रूपये या उससे ज्यादा है.

   (सी) "व्यापारिक नौकरी" का अर्थ है –

      (i) व्यावसायिक, औद्योगिक, आर्थिक अथवा पेशेवर व्यापार से जुडी किसी कंपनी, सहकारी सोसायटी या फर्म में अथवा व्यक्ति के साथ एजेंट या अन्य किसी भी हैसीयत में की जानेवाली नौकरी, या सार्वजनिक निर्माण कार्य करने वाले, या ऐसे कार्य से जुडे ठेकेदार या ठेकेदार के कर्मचारी की नौकरी. ऐसी नौकरी में ऐसी कंपनी का निदेशक पद या ऐसी फर्म में भागीदार होना भी शामिल है, परंतु केंद्र या राज्य सरकार की पूर्णतः या अंशतः मालिकी में होनेवाले या नियंत्रित निगम निकाय में की गई नौकरी शामिल नहीं है.

(ii) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म में भागीदार के नाते ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के नाते प्रैक्टिस शुरू करना, जिनसे संबंधित प्रैक्टिस के लिये –

(क) व्यावसायिक योग्यता न हो, और जिस प्रकार के मामलों में प्रैक्टिस करनी है, उनका संबंध उसके कार्यालयीन अनुभव या ज्ञान, कुशलता से जोडा जा सकता हो.

(ख) कर्मचारी के पास व्यावसायिक योग्यता हो, परंतु जिस प्रकार के मामलों में प्रैक्टिस शुरू करनी है, उनका स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसके पिछले कार्यालयीन पद के कारण उसके क्लायंटस् को कुछ अनुचित लाभ होने की संभावना हो, या

(ग) कर्मचारी को मंडल के कर्मचारियों या कार्यालयों के संपर्क में लाने वाला कार्य करना होता हो.

स्पष्टीकरण – संबंधित शर्त में "सहकारी सोसायटी में नौकरी" के अंतर्गत निम्न भी शामिल है – चुनाव या अन्य किसी पद्धति से प्राप्त किया प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव, खजांची या उस सोसायटी में अन्य किसी नाम से जाना जानेवाला इसी प्रकार का अन्य कोई पद.

(डी) "कर्मचारी" का अर्थ होगा मंडल का कर्मचारी.

(इ) अंशदायी भविष्यनिधि योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारी के संबंध में "निवृत्ति की तिथि" वह तिथि होगी, जिस तिथि पर वह "भविष्य निधि में विशेष अंशदान" के लिए योग्य होने के उपरांत सेवा छोड रहा हो.

४. **भारत में व्यापारिक नौकरी** – (1) अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले जो प्रथम श्रेणी पद पर काम कर रहा था, ऐसा कोई भी कर्मचारी (चाहे वह पेंशन योजना में आता हो या अंशदायी भविष्य निधि योजना में) उसकी निवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने के पहले अध्यक्षजी की पूर्वानुमति लिए बिना किसी भी गैरसरकारी/व्यापारिक नौकरी का स्वीकार नहीं करेगा.

(2) जिसने अध्यक्षजी की पूर्वानुमति न ली हो, ऐसे किसी भी कर्मचारी को मंडल के किसी निर्माण कार्य या उन निर्माण कार्य से संबंधित किसी अन्य काम का ठेका नहीं दिया जाएगा.

टिप्पणी – प्रत्येक निर्माण कार्य के करार पत्र की शर्तों में यह शर्त सम्मिलित की जाय – "यदि देखा जाए कि स्वयं ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी पर ये विनियम लागू होते हैं और उसने उक्त आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो यह ठेका/करार रद्‌द किया जा सकता है".

(3) ऐसा कर्मचारी, चाहे वह पेंशन योजना के या अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता हो, उसकी निवृत्ति लाभ की राशि का भुगतान अधिकृत होने से पहले यह वचन पत्र देगा कि वह अध्यक्षजी की पूर्वानुमति लिए बिना अपनी निवृत्ति तिथि से दो वर्ष के अंदर गैरसरकारी/व्यापारिक नौकरी नहीं करेगा.

अध्यक्षजी जो की पूर्वानुमति बिना कोई व्यपारिक नौकरी स्वीकार करता है, तो –

(ए) यदि वह पेंशन योजना के अंतर्गत हो तो – जितनी अवधि तक वह उस नौकरी में रहेगा तबतक, अथवा अध्यक्षजी द्वारा बताई गई अधिक लंबी अवधि तक, निवृत्ति वेतन देय नहीं होगा, और

(बी) यदि वह कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत हो तो उप-विनियम (3) के अंदर उसके द्वारा दिए वचन पत्र का उल्लंघन करने के कारण वह मंडल को अध्यक्षजी द्वारा निश्चित की गई राशि की क्षतिपूर्ति करेगा.

निम्न प्रावधान है कि यदि अध्यक्षजी ने किसी कर्मचारी को उसके निवृत्तिपूर्व अवकाश, सेवा की अंतिम समाप्ति के पूर्व अवकाश अथवा नामंजूर अवकाश – इन अवकाशों के दौरान किसी विशिष्ट व्यापारिक नौकरी करने की अनुमति दे दी हो, तो ऐसे कर्मचारी को निवृत्ति के बाद उपरोल्लिखित नौकरी जारी रखने के लिए दोबारा अध्यक्षजी को मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

(5) यदि कोई कर्मचारी निवृत्ति के तुरंत पहले सिविल इंजिनियरिंग या मेकेनिकल इंजिनियरिंग विभाग में प्रथम श्रेणी पद पर काम करता था, और चाहे उसका काम इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य से संबंधित रहा हो – तो उस स्थिति में उसे निवृत्ति से दो वर्ष के अंदर मंडल के निर्माण कार्य के निष्पादन के ठेके, या अन्य किसी संबंधित कार्य में, ठेकेदार, या निर्माण कार्य का ठेका जिसे दिया गया है ऐसे ठेकेदार के कर्मचारी के नाते काम करने की अनुमति अपवादात्मक एवं विशेष स्थिति में ही दी जाय.

(6) निवृत्ति की दो वर्ष अवधि के दौरान व्यापारिक नौकरी की अनुमति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है.

5. **पुन:नियुक्त कर्मचारी के मामले में दो वर्ष अवधि की गिनती** – यदि निवृत्ति के तुरंत बाद सेवा खंडित किए बिना यदि किसी कर्मचारी को उसी पद पर अथवा मंडल के ही किसी अन्य प्रथम श्रेणी पद पर पुन:नियुक्त किया जाता है, तो दो वर्षीय खंड की गणना मंडल में उसकी पुन:नियुक्ति समाप्त होने की तिथि से की जाएगी.

6. **निवृत्ति के पश्चात विदेश में सरकारी नौकरी** –

(1) अपनी निवृत्ति से तुरंत पहले जो मंडल के किसी प्रथम श्रेणी पद पर काम करता था, ऐसा कोई भी कर्मचारी – चाहे वह पेंशन योजना के या अंशदायी भविष्यनिधि के अंतर्गत आता हो – अध्यक्षजी की पूर्वानुमति लिए बिना भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं करेगा.

(2) ऐसे कर्मचारी की निवृत्ति लाभ की राशि का भुगतान देने से पहले यह वचन पत्र देना होगा कि वह अध्यक्षजी की पूर्वानुमति के बिना भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं करेगा.

(3) यदि कोई कर्मचारी अध्यक्षजी की पूर्वानुमति के बिना भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार करता है, तो –

(ए) यदि वह पेंशन योजना कें अंतर्गत हो तो – जितनी अवधि तक वह उस नौकरी में रहेगा तबतक, अथवा अध्यक्षजी द्वारा बताई गई अधिक लंबी अवधि तक, उसे निवृत्ति वेतन देय नहीं होगा, और

(बी) यदि वह कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत हो, तो उप–विनियम (2) के अंदर उसके द्वारा दिए वचन पत्र का उल्लघंन करने के कारण वह मंडल को अध्यक्षजी द्वारा निश्चित की गई राशि की क्षतिपूर्ति करेगा.

निम्न प्रावधान है कि – यदि अध्यक्षजी ने किसी कर्मचारी को उसके निवृत्तिपूर्व अवकाश, सेवा की अंतिम समाप्ति के पूर्वाअवकाश अथवा नामंजूर अवकाश – इन अवकाशों के दौरान भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार करने की अनुमति दे दी हो, तो ऐसे कर्मचारी को निवृत्ति के बाद उपरोल्लिखित नौकरी जारी रखने के लिए दोबारा अध्यक्षजी की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

स्पष्टीकरण – इस विनियम के अनुसार "भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी" के अर्थ में निम्न समाविष्ट है – भारत के बाहर के किसी अन्य सरकार की निगरानी व नियंत्रण में कार्य करने वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण निगम या कोई अन्य संस्था या संगठन की नौकरी या भारत जिसका सदस्य न हो ऐसे किसी आंतरराष्ट्रीय संगठन की नौकरी.

(4) भारत के बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार करने के लिए उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुमति देने से पहले अध्यक्षजी केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करेंगे.

7. **प्रथम श्रेणी पद पर स्थानापन्न (ऑफिशिएटिंग) कर्मचारी के लिए भी अनुमति की आवश्यकता –**

अपनी निवृत्ति के समय स्थानापन्न (ऑफिशिएटिंग) के नाते भी यदि कर्मचारी ने प्रथम श्रेणी पद पर काम किया है, तो उसे भी निवृत्ति के बाद भारत में नौकरी या भारत के बाहर अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.

8. **अर्थनिर्णय –** इन विनियमों के अर्थ निर्णय के बारे में यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो मामला अध्यक्षजी के पास जाएगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा.

9. **रद्द करना और बनाए रखना –** इन विनियमों के अनुरूप और इन विनियमों के आरंभ से तुरंत पहले प्रचलित सभी आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं.

बशर्ते कि इस प्रकार रद्द किए गए आदेशों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह माना जाएगा कि वह आदेश/वह कार्यवाही इन नए विनियमों के अनुरूप प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया गया था/की गई थी.

निवृत्ति के बाद दो वर्ष के अंदर व्यापारिक नौकरी स्वीकार करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा.

(विनियम 4 का उप-विनियम (6) देखें)

1. आवेदक का नाम :

2. निवृत्ति की तिथि :

3. निवृत्ति के तुरंत पहले के पाँच वर्षों में धारण किए गए पदों का विवरण :

विभाग	धारण किए गए पद वेतन श्रेणी	से	तक
(i)			
(ii)			
(iii)			

4. निवृत्ति से तुरंत पहले लिए गए वेतन तथा भत्तें :

5. निवृत्ति लाभ

   (i) यदि अंशदायी भविष्य निधि की योजना के अंतर्गत है, तो - :

      (ए) मंडल की ओर से मिलने वाली साधारण राशि तथा उसका ब्याज :

      (बी) मंडल की ओर से मिलने वाली विशेष अंशदान राशि :

   (ii) यदि पेंशन योजना के अंतर्गत है, तो - :

      (ए) पेंशन की राशि (अपेक्षित/मंजूर) :

(पीछे .....)

(यदि पेंशन का कुछ अंश रूपांतरित हो, तो उसका विवरण दें)

(बी) मृत्य तथा निवृत्ति उपदान राशि (अपेक्षित/मंजूर) :

6. प्रस्तावित नौकरी का विवरण –

(ए) कंपनी/को–ऑप.सोसायटी फर्म, व्यक्तिगत नियोक्ता का नाम तथा पता :

(बी) क्या कर्मचारी ने मंडल की नौकरी में होने के दौरान उस कंपनी/को–ऑप.सोसायटी, फर्म/व्यक्तिगत नियाक्ता से कुछ व्यवहार किया था ? यदि हां, तो व्यवहार की अवधि तथा स्वरूप बताएं :

(सी) ऑफर किए गए पद का स्वरूप :

(डी) क्या पद की विज्ञाप्ति दी गई थी ? यदि नहीं, तो ऑफर किस तरह की गई ?

(इ) ऑफर किए गए पद का कार्य :

(एफ) क्या प्रस्तावित व्यवसाय में मंडल के कार्यालयों व कर्मचारी से संपर्क रखना शामिल है ? :

(जी) पारिश्रमिक :

(एच) क्या प्रस्ताविक व्यवसाय में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना शामिल है ? हो, तो उसका विवरण :

7. कर्मचारी देना चाहे ऐसी अन्य कोई जानकारी :

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

मे.